न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ, (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनाक	निर्णय दिनांक
65 / 2023	06.02.2023	16.01..2024

उनवान

1. श्री उदयलाल पुत्र मांगीलाल महाजन(चौधरी) निवासी आर0सी0व्यास कालोनी भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री सज्जन सिंह पुत्र मोहनलाल महाजन निवासी सी–124 सुभाषनगर भीलवाडा।
2. श्री दिनेश पुत्र मोहनलाल महाजन निवासी भीलवाडा।
3. श्री श्री नोरतमल पुत्र हरकलाल महाजन निवासी म.नं.एल–42, आर0सी0व्यास कालोनी भीलवाडा।
4. श्री नवरतनमल पुत्र मांगीलाल चौधरी निवासी 63, वर्धमान कॉलोनी भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी ओम प्रकाश पटवारी
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आरजिया प0ह0 आरजिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 31 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 2063 रकबा 0.9104 हैक्टेयर, आ0न0 2064 / 1 रकबा 0.1897 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 1.1001 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है।

और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 स्वीकार किया जाता है।

Ahlad

तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमाकन(पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा आरजिया प०ह० आरजिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 31 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 2063 रकबा 0.9104 हैक्टेयर, आ०न० 2064/1 रकबा 0.1897 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 1.1001 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमाकन(पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है. कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय फर्द मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad
16/1/24
(आजाद [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा